न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 126/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/220)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखजिन्द्र कौर पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. अंग्रेज सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।
2. परमजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		2. अमृतपाल सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।
3. रणजीत सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		3. सुरेन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।
4. सुखचैन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।
5. हरविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 09.07.2024

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

---निर्णय--- **दिनांकः12.09.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 107/14 के मुरब्बा नम्बर 25, 30, 53/30 की कुल 2.801 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादीगण अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के साथ पारस्परिक सहमति से वाहमी बंटवारा कर रखा है। वाहमी बंटवारानामा वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने किलाजात पर लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है। लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण एवं वादीगण के कब्जा व काश्त की भूमि दूसरे खाता में दर्ज होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादी ने आज से करीब 10 रोज पूर्व समस्त प्रतिवादीगण को सम्पर्क कर इस संबंध में पुनः विचार विमर्श किया तो उनके द्वारा पूर्व की तरह इस बार भी स्पष्ट इंकार कर दिया और कहा कि यदि आपको कोई अनुतोष या राहत चाहते हो तो संबंधित न्यायालय में कार्यवाही कर, अपना हक व हिस्सा प्राप्त कर सकते हो। यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण की असहमति के कारण, माननीय न्यायालय में वाद पत्र संस्थित करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प वादी के पास शेष नहीं रहा। इस कारण वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 107/14 के मुरब्बा नम्बर 25, 30, 53/30 की कुल 2.801 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 107/14 के मुरब्बा नम्बर 25, 30, 53/30 की कुल 2.801 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 153/106 के मुरब्बा नम्बर 25, 53/30 की कुल 1.347 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर संशोधित वादपत्र सामिल मिसल किया गया।

4. बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 107/14 के मुरब्बा नम्बर 25, 30, 53/30 की कुल 2.801 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 153/106 के मुरब्बा नम्बर 25, 53/30 की कुल 1.347 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुखजिन्द्र कौर पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.013 है.) परमजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (0.013 हैक्टेयर)	12 ओ	25	14	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.23
2	रणजीत सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.458 है.) सुखचैन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.380 है.) हरविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.723 है.)	12 ओ	25 53/30	8,9 10/1 12/2 13/2 15/4 14 0/2	0.506 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.184 हैक्टेयर 0227 हैक्टेयर 0.035 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	4.50 1.37 2.03 2.02 1.64 2.02 0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सुखजिन्द्र कौर आदि बनाम अंग्रेज सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 91** आरटीए मुकदमा नम्बर **126/2024**
निर्णय दिनांक :-12.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किराजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 107/14 के मुरब्बा नम्बर 25, 30, 53/30 की कुल 2.801 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 153/106 के मुरब्बा नम्बर 25, 53/30 की कुल 1.347 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुखजिन्द्र कौर पत्नी पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.013 है.) परमजीत कौर पत्नी हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (0.013 हैक्टेयर)	12 ओ	25	14	0.026 हैक्टेयर	नहरी	0.23
2	रणजीत सिंह पुत्र गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.458 है.) सुखचैन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.380 है.) हरविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर(0.723 है.)	12 ओ	25 53/30	8,9 10/1 12/2 13/2 15/4 14 0/2	0.506 हैक्टेयर 0.154 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.184 हैक्टेयर 0227 हैक्टेयर 0.035 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	4.50 1.37 2.03 2.02 1.64 2.02 0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 01.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	100	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	104	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/528 दिनांकः 01.10.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर